11/05/2025

**प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम**
**एवं जिला कलक्टर उदयपुर**
**निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.**

प्रकरण संख्या: **78/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Radha Charnal Add: Chandpol Bahar, Ward no. 25, Kankroli, Rajsamand, Raj.

..............**अपीलार्थी**

**बनाम**

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार मावली, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

## प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

# निर्णय

**दिनांक:** 10/06/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329768818718067 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 09.04.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 557629067 दिनांक 16.05.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/78/24/485–86 दिनांक 16.05.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मावली द्वारा जरिये पत्रांक रीडर/2025/372–73 दिनांक 10.06.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर श्री कन्हैयालाल पिता नाना लाल एवं श्री मनोज कुमार पुत्र कन्हैयालाल निवासी मावली द्वारा जनवरी 2012 से जुलाई 2012 के मध्य कार्यालय तहसीलदार मावली में प्रस्तुत हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु देय आवेदन एवं आवेदन के साथ लगाये गये समस्त दस्तावेजों एवं हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति चाही गई। कार्यालय हाजा से उक्त सूचना उपलब्ध करवाने हेतु रिकार्ड कीपर को लिखा गया। जिस पर रिकॉर्ड कीपर द्वारा अवगत करवाया गया कि चाही गई सूचना संबंधित रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है जिस पर कार्यालय हाजा से टीम का गठन किया जाकर दस्तावेज तलाश किया गया, परन्तु उक्त दस्तावेज संबंधित रिकॉर्ड में आज दिनांक तक नहीं मिला है। दस्तावेज की तलाश की जा रही है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मावली द्वारा अपने जवाब में कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित रिकॉर्ड नहीं मिलने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट नहीं है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना से संबंधित रिकॉर्ड की गहन खोज कर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये। रिकॉर्ड नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराये तथा रिकॉर्ड संधारित करने से संबंधित कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए 15 दिवस के भीतर न्यायालय को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10-06-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर